

## राज्यपाल हरचिंदन ने न्यायाधपितरिमेश सनिहा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की दलाई शपथ

### चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल वशिष्ठभूषण हरचिंदन ने राजभवन के दरबार हॉल में न्यायाधपितरिमेश सनिहा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दलाई।

### प्रमुख बद्दि

- उल्लेखनीय है कि न्यायाधपितरिमेश सनिहा ने छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। इसके पूरव रमेश सनिहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे।
- वदिति है कि न्यायमूर्त्तरिमेश सनिहा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नविरत्मान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्त्तरिरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लिया, जो 10 मार्च को सेवानवृत्त हुए थे।
- न्यायमूर्त्तरिरूप कुमार गोस्वामी की सेवानवृत्तिके बाद 10 मार्च को न्यायमूर्त्तरिगौतम भादुड़ी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नयुक्त किया गया था।
- बलिसपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले रमेश सनिहा ने साल 1990 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है। साल 2011 में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतरिकित न्यायाधीश के पद पर नयुक्त किया गया।
- उल्लेखनीय है कि भारत के संवधान के अनुच्छेद-222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किया गया है।
- हालाँकि वर्त्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नयुक्ति एवं स्थानांतरण कोलेजियम व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, जिसका वर्त्तमान स्वरूप 'थर्ड जजेस केस 1998' में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय से वकिसति हुआ है।

